

107 द.प.स.

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूंटी.

कुमनी पूर्ण
नाम
सुगनु सुण्डा

M-74/2018

आदेश पत्रक

29/5/18

01
29/5/18

अभिलेख संख्या -- एम. 74 / 2018, धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूंटी के अप्राथमिकी संख्या :- 21/18

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- जमानत विवाद

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूंटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द.प.स. 107 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 12/6/18 को उपस्थापित करें।

खूंटी
29/5/18
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूंटी

7 days - 20/2/19

11/19

द्वितीय पत्र अन्वयित / दिनांक 11/02/19 को रखा

12/19

तृतीय पत्र अन्वयित / दिनांक 12/02/19 को रखा

08/02/19

उभय पत्र अन्वयित / दिनांक 15/02/19 को रखा

15/02/19

उभय पत्र अन्वयित / पुन दिनांक 22/2/2019 को रखा

22/2/19

उभय पत्र अन्वयित / दिनांक 23/2/19 को रखा

15/2/19

05/3/19

कालावधि समाप्त होने के साथ ही को समाप्त विषय जाता है

05.03.19